FOR MLIS STUDENTS

Course : - Masters of Library and Information Science (MLIS)

Paper : - Paper-I

Prepared By: - Aftab Ahmad, Assistant Librarian, Faculty Library Science
School of Library and Information Sciences, Nalanda Open University

Topic: - Right To Information And Library

काई-21

सूचना का अधिकार तथा ग्रन्थालय
(Right to Information and Library)

पाठ-संरचना (Lesson Structure)

21.0 उद्देश्य (Objectives)

21.1 परिचय (Introduction)

21.2 सूचना (Information)

21.3 सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act)

21.4 सूचना के अधिकार अधिनियम का क्षेत्र
(Area of Right to Information Act)

21.5 सूचना का अधिकार अधिनियम की विशेषताएँ
(Characteristic of Right to Information Act)

21.6 सूचना के अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्न
(Questions asked under Right to Information Act)

21.7 सूचना का अधिगम करने की प्रक्रिया
(Process of Accessing Information)

21.8 भुगतान संरचना (Payment Structure)

21.9 ग्रन्थालय एवं सूचना सेवायें (Library and Information Services)

21.10 सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए ग्रन्थालय के कार्य
(Function of Libraries for Right to Information Act)

21.11 सूचना के अधिकार के उपकरण (Tools of Right to Information)

21.12 सूचना का अधिकार में ग्रन्थालय की भूमिका (Role of Library in Right to Information)

21.13 सारांश (Summary)

21.14 मॉडल प्रश्न (Model Questions)

21.15 प्रस्तावित पाठ (Suggested Reading)

21.0 उद्देश्य (Objective)

प्रस्तुत पाठ में हम भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय सूचना के अधिकार अधिनियम को समझने का प्रयास करेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम मूलतः सूचना पर आधारित हैं जो कि वास्तव में किसी ग्रन्थालय का भी मूल तत्व है। अतः प्रथम दृष्टवा सूचना का अधिकार अधिनियम एवं ग्रन्थालय में अत्यधिक समानता की अनुभूति होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस पाठ में सूचना को पारिभाषित करने का प्रयास करेंगे। पुस्तकालयों में सूचना के महत्व पर चर्चा पुरतकालय विज्ञान के पंच सूत्रों के आधार पर करेंगे। साथ ही हम सूचना के अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का विवरण प्रस्तुत करते हुए ग्रन्थालयों के इस अधिनियम में हो सकने वाले योगदान को चिन्हित करने की कोशिश करेंगे। अन्त में हम सूचना के अधिकार को ध्यान में रखते हुए ग्रन्थालयों के उत्तरदायित्व एवं कार्यों पर प्रकाश डालेंगे।

21.1 परिचय (Introduction)

किसी भी तरह की सूचना सामान्यतः ज्ञान सम्वर्द्धन, समस्या समाधन, निर्णय निर्धारण एवं शिक्षा के विकास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत एवं संसाधन है। अतः किसी भी समाज में नागरिकों को सूचना एवं विचारों के अधिगम का स्वतंत्र अधिकार प्राप्त होना चाहिए । कोई भी देश अथवा समाज अपना विकास तभी सुनिश्चित कर सकता है जब उसे सूचना एवं विचारों के स्वतंत्र अधिगम का अधिकार प्राप्त हो। सूचना एवं विचारों के स्वतंत्र एवं आसान अधिगम के आधार पर प्राप्त सूचना एवं ज्ञान से ही हमें नयी-नयी बातों को सीखने का अवसर प्राप्त होता है, जो किसी भी व्यक्ति अथवा समाज में विकास की आधारशिला है।

'सूचना का अधिकार' से तात्पर्य केवल एक राजनीतिक अधिकर से नहीं है बल्कि यह अधिकार किसी व्यक्ति के जीवन को निर्देशित करने का कार्य भी करता है। यह अधिकार बिना किसी भेदभाव एवं दबाव के एक सामान्य जनमानस को प्रदान किया जाता है। यह अधिकार हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत अभिव्यक्त मौलिक अधिकारों के तहत अधिकार प्रदान करता है। इसके लिए वर्ष 2005 में 'सूचना के अधिकार अधिनियम' पारित किया गया, जिससे इस अधिकार को संवैधानिक आधार

प्रदान किया जा सके। इस अधिनियम के अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान है कि किसी सूचना के वितरण को लोगों के लिए उनकी मांग पर अनिवार्यतः प्रदान किया जाए। ग्रन्थालय एक सार्वजनिक संस्था होने के कारण इसके सभी स्तरों पर इस अधिनियम को पूर्णता के साथ लागू किया जाता है। एक ग्रन्थालय सभी व्यक्तियों/उपयोगकर्त्ताओं को समान रुप से, समान सूचना प्रदान करने के दायित्व का निर्वहन करती है। ग्रन्थालयों में प्रदान की जाने वाली बौद्धिक स्वतन्त्रता हमारे देश के लोकतंत्र की ही परिचायक है।

21.2 सूचना (Information)

'सूचना का अधिकार' के युग में ग्रन्थालयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रन्थालय ही ऐसे केन्द्र हैं जो सूचनाओं को इसके मूल स्वरूप में अथवा सेवाओं के रूप में उत्पादित करते हुए एक वितरक के रूप में अहम भूमिका निभाते हैं। सूचना किसी ग्रन्थालय एवं 'सूचना का अधिकार' दोनों का ही आधार स्तम्भ है। सूचना की अनुपस्थिति में इन दोनों की कल्पना नहीं की जा सकती है। सूचना हमें हमेशा जागरुक रखती है एवं यह हमारे विचारों की अस्पष्टता को दूर करती है। सूचना का तात्पर्य किसी भी ऐसी सामग्री से है जो विभिन्न स्वरूपों में अभिलिखित प्रलेख, मेमो पेपर, ई–मेल, विचार, सलाह, विज्ञप्ति, सर्कुलर, आदेश, यात्रा दैनिकी, समझौता, रिपोर्ट, प्रतिदर्श, इलेक्ट्रानिक डेटा सामग्री तथा किसी व्यक्तिगत संगठन से जुडी हुई सूचनाओं के रूप में उपलब्ध होती है तथा किसी व्यक्ति के ज्ञानार्जन का आधार बनती है एवं जिन्हें कानूनी रुप से एक जनमानस के द्वारा अधिगमित किया जा सकता है।

21.3 सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act)

सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया। जिसके अन्तर्गत भारत के नागरिकों को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के अभिलेखो के कानूनी अधिगम का अधिकार दिया गया। यह कानून देश के सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। इस कानून (अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार देश का कोई भी नागरिक चाहे वह जम्मू एवं कश्मीर का ही क्यों न हो, वह किसी संगठन अथवा संस्था के सार्वजनिक प्राधिकारी से किसी भी सूचना की मांग कर सकता है एवं उक्त मांगी गयी सूचना को उस सार्वजनिक प्राधिकारी को तीस दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। इस सूचना को प्रदान करने में लगे खर्च का भुगतान मांगकर्ता को ही करना होता है।

यह 'सूचना का अधिकार' अधिनियम नागरिकों को विभिन्न तरीकों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, इनमें से कुछ प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं–

1. सरकार से कोई भी प्रश्न पूछ कर या कोई भी आवश्यक सूचना की मांग करना ।
2. किसी भी सरकारी प्रलेख की जॉच करना।
3. किसी भी सरकारी कार्य की जॉच करना।
4. किसी सरकारी कार्य की सामग्री का सैम्पल/प्रतिदर्श प्राप्त करना।

10. 'सूचना का अधिकार' अधिनियम के अन्तर्गत उत्तरदायी अधिकारी यदि किसी तरह की कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ अलग से शिकायत की जा सकती है। ऐसे में यदि वह अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है।

21.6 सूचना के अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्न (Questions asked under Right to Information Act)

'सूचना का अधिकार' अधिनियम के अन्तर्गत देश के सभी नागरिकों को निम्नलिखित प्रश्नों को पूछने के अधिकार प्राप्त है–

1. किसी सूचना को परिभाषित करने के लिए।
2. किसी प्रलेख की प्रति लेने हेतु।
3. किसी प्रलेख, कार्य एवं अभिलेख की जाँच हेतु।
4. किसी कार्य से सम्बद्व सामग्री का प्रमाणित सैम्पल/प्रतिदर्श लेने हेतु।

21.7 सूचना का अधिगम करने की प्रक्रिया (Process of Accessing Information)

इस अधिनियम के अनुसार विभिन्न संगठनों के द्वारा एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पी0आई0ओ0) की नियुक्ति की जाती है। यही सार्वजनिक सूचना अधिकारी विभिन्न लोगों को सूचना प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होता है।

- भारत का कोई भी व्यक्ति उस अधिकारी (पी0आई0ओ0–सार्वजनिक सूचना अधिकारी) को अपनी इच्छित सूचना के लिए लिखित रुप में आवेदन जमा कर सकता है। यह पी0आई0ओ0 का कर्त्तव्य है कि वह उक्त नागरिक को उसके द्वारा मांगी गयी सूचना को उपलब्ध कराये।
- यदि वह सूचना की मांग या उसका कोई भाग/हिस्सा किसी दूसरे सूचना प्राधिकारी के अन्तर्गत आता है तो यह उस पी0आई0ओ0 का कर्तव्य है कि वह उस सूचना से सम्बन्धित अधिकारी (पी0आई0ओ0) को अगले 5 दिनों के अन्दर–अन्दर उक्त प्रार्थना पत्र को स्थानान्तरित कर दे।
- प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वह आवश्यकता पड़ने पर अपने सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी को नियुक्त कर सकता है, जो 'सूचना के अधिकार' से सम्बधी सूचनाओं को प्रदान कर सकें एवं उसे अपील के लिए सम्बन्धित प्राधिकारी के पास भेज सकें।

21.8 भुगतान संरचना (Payment Structure)

'सूचना का अधिकार' अधिनियम के अन्तर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि सूचना की मांग के लिए

भुगतान को फीस के रूप में किया जाये। सूचना की मांग के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित की गयी फीस रू0 10/– मांगकर्ता को सम्बन्धित विभाग को जमा करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त सूचना प्राप्तकर्ता को केन्द्रीय सरकारी विभाग के द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना फोटोकापी के लिए रू0 2/– प्रति पेज के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान करना पडता है। इसी तरह प्रलेखों के जाँच के लिए भी कुछ भुगतान निर्धारित किया गया है। केन्द्रीय सरकारी विभागों में यह प्रथम एक घण्टा तक मुफ्त होता है। लेकिन इसके अगले घण्टों हेतु रू0 5/– प्रति घण्टे की दर से भुगतान सूचना मांगकर्ता को करना पडता है।

21.9 ग्रन्थालय एवं सूचना सेवायें (Library and Information Services)

ग्रन्थालयों में बढ़ती हुयी असीमित साहित्य वृद्धि एवं ऊँची नागरिक साक्षरता के कारण भारत की सूचना आवश्यकताएं भिन्न एवं वृहद प्रकृति की हैं। प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक महत्व की कोई भी सूचना की मांग करने एवं प्रगति जानने का अधिकार है। एक ग्रन्थालय एवं सूचना तंत्र 'सूचना का अधिकार' के उद्देश्यों की आधारशिला रहते हुए उसे पूर्णता प्रदान करता है तथा ये ग्रन्थालय एवं सूचना तंत्र सूचना अधिगम के लिए प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं/मांगकर्ताओं की सूचना आवश्यकता को पूरा करती है। इस प्रकार 'सूचना का अधिकार' तथा ग्रन्थालय एवं सूचना तंत्र एक दूसरे से परस्पर अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं।

21.10 सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए ग्रन्थालय के कार्य

पुस्तकालयाध्यक्ष पद की कल्पना डॉ0 एस0 आर0 रंगनाथन ने अपनी पुस्तक **सूचना विज्ञान के पाँच सूत्र** (1931) में स्पष्ट तौर पर की है। उन्होंने संगठन के अधिगम एवं ग्रन्थालय सामग्री के उपयोग के लिए विभिन्न उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों का निर्धारण किया।

'सूचना का अधिकार' अधिनियम की विचारधारा ग्रन्थालय विज्ञान के पाँचों सूत्रों से पूरी तरह जुड़ी है। इन पंच सूत्रों में विशेष रूप से तीसरा सूत्र सूचना के अधिकार से पूर्णतः जुड़ा हुआ है। ग्रन्थालय विज्ञान के पंच सूत्रों में से तृतीय सूत्र '**प्रत्येक प्रलेख के पाठक**' की तरह ही हम सूचना का अधिकार' के अन्तर्गत '**प्रत्येक सूचना के उपयोगकर्ता**' के रूप में उसकी व्याख्या कर सकते हैं।

पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र प्रत्येक प्रलेख के पाठक के अनुसार पुस्तकालय का कोई भी स्रोत यह अपेक्षा करता है कि उसे उससे सम्बन्धित पाठक को उपलब्ध कराया जाये। इसी तरह से 'सूचना का अधिकार' का उद्देश्य है कि प्रत्येक उपयोगी सूचना को स्वतंत्रत एवं आसानी से उसके मांगकर्ता के पास पहुँचाया जाये। जिससे उक्त मांगकर्ता की सूचना आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति समय से की जा सके।

21.11 सूचना के अधिकार के उपकरण (Tools of Right to Information)

1. वेबसाइट या पोर्टल

2. उचित प्रलेखन

3. सूचना का अंकीकरण (Digitization of Information)

21.12 सूचना का अधिकार में ग्रन्थालय की भूमिका (Role of Library in Right to Information)

प्रत्येक ग्रन्थालय एवं सूचना केन्द्र नागरिकों अथवा उपयोगकर्ताओं की सभी प्रकार की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोगशाला के रूप में कार्य करते हैं। ग्रन्थालय ज्ञान के संग्रह केन्द्र के रूप मे एक स्थापित संस्था है। विभिन्न ग्रन्थालय अपने उपयोगकर्ताओं को ज्ञानार्जन, मनोरंजन एवं बौद्धिक सम्पन्नता हेतु मूल सुविधायें प्रदान करते हैं। अतः किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में यह संस्थाएँ (ग्रन्थालय) सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तन लाने हेतु एक शक्तिशाली आधार/उपकरण हैं। इनकी विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से राष्ट्र की साक्षरता में वृद्धि सुनिश्चित की जाती है। ग्रन्थालय मूलतः संस्कृति, विचार एवं ज्ञान के लिए प्रवेश द्वार हैं। यह बौद्धिक स्वतंत्रता एवं सार्वभौमिक नागरिक अधिकारों के सुरक्षा तंत्र का विकास करने एवं उन्हें संरक्षित रखने में सहायक होते हैं।

ग्रन्थालय एवं सूचना केन्द्र सूचना को स्वतंत्र रूप से संकलित, संगठित एवं वितरित करते हैं तथा किसी भी प्रकार की सूचना को प्रतिबन्धित करने के विरोधी होते हैं। ग्रन्थालय के ये सभी कृत्य मूलतः सूचना के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के समतुल्य हैं।

एक ग्रन्थालय 'सूचना के अधिकार' की तरह ही सभी सूचना सामग्रीयों एवं सेवाओं को इच्छुक उपयोगकर्ता को समान रूप से उपलब्ध कराता है। यह जनता के वित्त के द्वारा संचालित किया जाता है। इसीलिए एक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पुस्तकालय कर्मी का यह कर्त्तव्य है कि वह बौद्धिक स्वतंत्रता के सिद्धान्त का अनुपालन करे एवं उपयोगकर्ताओं को उनकी इच्छा की सूचनाएं समय से उपलब्ध कराये।

21.13 सारांश (Summary)

इस पाठ में हमने सूचना के अधिकार अधिनियम को समझने का प्रयास किया। इस अधिनियम के विस्तार के क्षेत्र को जाना। सूचना का अधिकार अधिनियम की विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा की। सूचना के अधिकार के अन्तर्गत पूछे जा सकने वाले विभिन्न प्रश्नों को चिन्हित किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना के अधिगम हेतु संलग्न प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया एवं इस प्रक्रिया में किये जाने वाले भुगतान से सम्बन्धित तथ्यों पर प्रकाश डाला। सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न उपकरणों को चिन्हित किया। वहीं दूसरी तरफ सूचना का अधिकार अधिनियम को ध्यान में रखते हुए ग्रन्थालयों के मूल उद्देश्यों, उनकी सेवाओं एवं कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। अन्त में सूचना का अधिकार में ग्रन्थालयों की भूमिका पर विवरण प्रस्तुत किया।